

आधुनिक परिवारों में वृद्धि

डॉ. चंदन कुमार पांडेय

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजकीय महाविद्यालय, मौदहा, हमीरपुर

पश्चिमी समाज के परिवारों में हो रहे विघटन ने उन्हें यह सोचने पर बाध्य कर दिया है कि क्या परिवार एक समाप्त हो रही (मृतप्राय) संस्था है। यद्यपि भारतीय परिवारों के संरचनात्मक आदर्श पश्चिमी परिवारों से भिन्न हैं, तथापि यह भी सत्य है कि परम्परागत भारतीय परिवार के संरचना और संगठन पर विभिन्न प्रक्रियाओं और कारकों का गहन प्रभाव पड़ा है। यह कहना गलत नहीं है कि "उदारीकरण के परिणामस्वरूप हो रहे वैश्वीकरण के इस युग में परिवार की संस्था में हो रहे परिवर्तन की समाज वैज्ञानिक विवेचना हेतु गहन अध्ययन की आवश्यकता है।"

वास्तव में वर्तमान समय में भारतीय परिवार संक्रमणशील अवस्था में है। जहाँ एक ओर भारत में औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, नवीन कानून व्यवस्था, महिलाओं में आई जागरूकता इत्यादि से विकास चक्र को गति मिल रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संयुक्त परिवारों में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया है। वे संयुक्त से एकाकी हो रहे हैं, उनमें लड़ाई-झगड़े में वृद्धि हो गई है, लोगों में व्यक्तिवादिता और अहमवादिता आ गई है जिसका सर्वाधिक खामियाजा हमारे वृद्धों को भुगतना पड़ता है क्योंकि पारिवारिक विघटन से उनकी परम्परागत देखभाल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

प्राचीन भारतीय समाज में वृद्धों की देखभाल का मुख्य केन्द्र संयुक्त परिवार थे, जिसमें दो या अधिक पीढ़ियों एक सामान्य आवास में रहती थीं। संयुक्त सम्पत्ति का उपभोग करती थीं। घर का वयोवृद्ध

व्यक्ति घर का कर्ता होता था, जिसकी आज्ञा का पालन करना सभी का कर्तव्य माना जाता था, उसी की सलाह से युवा वर्ग अपने कार्यों को सम्पादित करते थे। समाज में भी उच्च पद उनको प्रदान किये जाते थे। शारीरिक, आर्थिक व मानसिक हास के बावजूद समाज व परिवार में प्राप्त इस उच्च प्रस्थिति व विशेषाधिकार के कारण वे जीवन के इस सन्ध्याकाल को भी आनन्दपूर्वक व्यतीत करते थे।

प्राचीन समाजों में वृद्धों की उच्च प्रस्थिति के कारणों में उनकी संख्या में कमी भी थी। औद्योगिक समाजों में 1951 के आस-पास 2 प्रतिशत व्यक्ति ही 65 वर्ष की आयु तक पहुँच पाते थे। परन्तु वर्तमान समय में मृत्युदर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, महामारियों पर नियन्त्रण, स्वास्थ्य व चिकित्सीय सुविधाओं में वृद्धि इत्यादि कारणों से वृद्धों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि अंकित की गई है। 1951 में वृद्धों की जनसंख्या 5.41 प्रतिशत थी तो 1961 में 5.63 प्रतिशत। 1991 में 6.55 प्रतिशत से बढ़ते हुये 2001 में 7.08 प्रतिशत हो गई है। 2020 तक विकासशील देशों में सर्वाधिक वृद्ध भारत के ही होंगे। जहाँ एक ओर जन्मदर में कमी होने से बच्चों की संख्या में कमी आई है वहीं मृत्युदर में कमी से वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है, अर्थात् सेवादाता से सेवाग्राहियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप वृद्धों के समक्ष वर्तमान व भविष्य को लेकर अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। इसी कारण विविध समाजशास्त्रियों, जनांकिकीशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों इत्यादि का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ।

वृद्धावस्था की प्रक्रिया के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिये कुछ सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है। अनियुक्तता सिद्धान्त कमिंग व हेनरी (1961) द्वारा दिया गया है जिसके अनुसार वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके व्यक्ति समाज द्वारा या स्वयं के द्वारा समाजिक क्रियाओं से अलग हो जाते हैं। सक्रियता सिद्धान्त हाविघ्नस्ट (1960) द्वारा दिया गया है जिसके अनुसार व्यक्ति की भूमिका व उसकी स्वयं के बारे में विचारधारा दोनों अन्तः सम्बन्धित मानी गई है। आधुनिकता सिद्धान्त

कांगिल व होल्मस् (1972) द्वारा प्रतिपादित किया गया है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि आधुनिकीकरण बढ़ने से वृद्धों की प्रस्थिति में ह्रास हो जाता है। इसके अतिरिक्त लेबल सिद्धान्त, उपसंस्कृति सिद्धान्त व चार परिप्रेक्ष्यों (प्रकार्यात्मक, संघर्षवादी, अन्तः क्रियावादी व उद्धारात्मक) के आधार पर ही वृद्धावस्था की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया गया है।

वृद्ध और वृद्धावस्था किसी भी समाज के लिए नवीन शब्द नहीं है किन्तु समाज व देखभाल के परम्परागत स्रोतों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इनके समक्ष विविध समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। साथ ही साथ ये भी समाज के लिये कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य प्रस्तुत अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य हैं-

1. वृद्धों की सामाजिक और आर्थिक प्रस्थिति ज्ञात करना।
2. उनकी रहन-सहन की व्यवस्था ज्ञात करना।
3. वृद्धों की पारिवारिक प्रस्थिति का विश्लेषण करना।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र हमीरपुर नगर का एक गाँव कुछेछा है जो बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। कुछेछा में कुल 294 परिवार हैं। कुछ जनसंख्या 1581 है। इनमें 112 वृद्ध हैं।

समग्र व निदर्शन - प्रस्तुत अध्ययन का समग्र 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वृद्ध हैं। इसमें महिलाओं व पुरुषों दोनों को सम्मिलित किया गया है। उत्तरदाताओं का चुनाव देवनिदर्शन द्वारा किया गया है। प्रथम चरण के मतदाता सूची से वृद्धों के नामों का चयन किया गया तत्पश्चात् अंकन प्रणाली के आधार पर प्रत्येक दूसरे वृद्ध का चुनाव किया गया। कुल 56 वृद्ध चयनित हुए। इनमें से 52 वृद्धों से ही सम्पर्क हो सका। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं 52 वृद्धों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है।

तथ्य संकलन की प्रविधि -प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार के तथ्य संकलन के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में लिखित, प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, जर्नल, सरकारी व गैर सरकारी प्रतिवेदनों, रिपोर्टों, इंटरनेट में उपलब्ध सामग्रियों इत्यादि का अध्ययन व आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया।

उत्तरदाताओं की वैयक्तिक पृष्ठभूमि-ग्रामीण भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन में व्यक्ति की प्रस्थिति, अवसरों की उपलब्धता इत्यादि में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्तरदाता हिन्दू हैं।

सारणी -1 जातिगत विभाजन के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च जाति ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य आदि	15	28.85
पिछड़ी जाति यादव ,पाल, कुर्मी आदि	26	50
निम्न जाति धोबी, चमार,सोनकर आदि	11	21.15
कुल	52	100

सारिणी से स्पष्ट है कि इनका जातिगत विभाजन तीन श्रेणियों में किया गया है। उच्चजाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ इत्यादि को सम्मिलित किया गया है जिनका प्रतिशत 28.85 प्राप्त

हुआ। 50 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति (यादव, पाल, गड़रिया, सचान इत्यादि) के हैं तथा 21.15 प्रतिशत उत्तरदाता निम्न जाति (चमार, अहिरवार, धोबी इत्यादि) के हैं।

सर्वाधिक उत्तरदाता 60-95 आयु वर्ग के हैं जिनका प्रतिशत 57.69 है। 26.93 प्रतिशत उत्तरदाता 66-70 आयुवर्ग व 11.54 प्रतिशत उत्तरदाता 71-75 आयु वर्ग के हैं। 3.84 प्रतिशत उत्तरदाता 76-80 आयु वर्ग के हैं। लगभग 62 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे व 38 प्रतिशत विधवा/ विधुर हैं। कोई भी उत्तरदाता अविवाहित, तलाकशुदा व परित्यक्ता नहीं मिला। आधे से अधिक उत्तरदाता (58 प्रतिशत) निरक्षर हैं, जबकि 42 प्रतिशत उत्तरदाता ही साक्षर हैं। इनमें से अधिकतर सिर्फ थोड़े बहुत साक्षर हैं।

आर्थिक प्रस्थिति - वृद्धों की आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन करने पर विदित हुआ है कि 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कुछ न कुछ भूमि अवश्य थी। यद्यपि इसके क्षेत्रफल में अन्तर पाया गया। 70 प्रतिशत सीमान्त कृषक थे। शत प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्वयं का घर था जिसमें 15 प्रतिशत व्यक्तियों का घर पक्का, 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अध-पक्का व 36 प्रतिशत वृद्धों का घर पूर्णतया कच्चा था। पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार वृद्धों के आर्थिक योगदान से सम्बन्धित होता है। इसी सम्बन्ध में वृद्धों की पूर्व कार्य संलग्नता ज्ञात करने पर विदित हुआ कि 4 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 48 प्रतिशत कृषि कार्यो, 29 प्रतिशत श्रमकार्यो व 19 प्रतिशत व्यक्ति व्यवसाय में संलग्न थे। वर्तमान समय में 33 प्रतिशत वृद्ध अपनी हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए पूर्णतया परिवार पर निर्भर हैं व 67 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार से परिवार में आर्थिक सहयोग कर रहे हैं।

उत्तरदाताओं की रहन-सहन की व्यवस्था वृद्धों की रहन-सहन की व्यवस्था ज्ञात करने पर विदित हुआ कि यद्यपि सभी वृद्ध अपने घरों में रह रहे थे लेकिन घरों का स्तर निम्न था। 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घरों में शौचालय व नल नहीं है। 23 प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली नहीं है। यहाँ

तक कि उनके लिए किसी अलग कमरे की व्यवस्था भी नहीं है। 42 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवारों में और 52 प्रतिशत संयुक्त परिवारों में रह रहे थे। 6 प्रतिशत उत्तरदाता बिल्कुल अकेले रहकर जीवनयापन कर रहे हैं व ये सभी विधवा व विधुर हैं। अधिकतर लोग (97 प्रतिशत) अपने पैतृक घर में अपने पुत्रों के साथ रहने को प्राथमिकता देते हैं।

उत्तरदाताओं की पारिवारिक प्रस्थिति परिवार में प्राप्त होने वाले सम्मान, उनसे ली जाने वाली सलाह और पारिवारिक सदस्यों के उनके साथ समय व्यतीत करने के आधार पर वृद्धों की पारिवारिक प्रस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। लगभग 52 प्रतिशत वृद्धों ने माना की पूर्व की अपेक्षा उनके सम्मान में कमी आई है। उनमें से सभी वृद्ध भी हैं जो आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर हैं जबकि 49 प्रतिशत के अनुसार परिवार में उनकी प्रस्थिति पूर्ववत् ही है।

इन 48 प्रतिशत वृद्धों ने यह भी माना कि परिवार के मसलों पर विशेषतः सम्पत्ति व विवाह इत्यादि के लिए उनसे सलाह अवश्य ली जाती है। 73 प्रतिशत वृद्धों के अनुसार परिवार के सदस्य उन्हें अपेक्षाकृत कम समय देते हैं। वे अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए मित्रों, पड़ोसियों, नाती-पोतों व भजन-पूजन का सहारा लेते हैं। लगभग 46 प्रतिशत वृद्धों के अनुसार परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, लेकिन वे अन्यत्र या वृद्ध गृहों में जाकर रहना नहीं चाहते हैं।

उपसंहार - यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरों की भांति परिवारों में परिवर्तन प्रारम्भ हो चुके हैं लेकिन अभी भी संयुक्त परिवारों में रहने वाले वृद्धों का प्रतिशत अधिक है। लगभग सभी वृद्ध अपने पुत्रों के साथ रहने को प्राथमिकता भी देते हैं। परिवार पर निर्भर वृद्धों की प्रस्थिति निम्न होती जा रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि नगरों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृद्धों की देखभाल की समस्या उत्पन्न हो रही है यद्यपि नगरों की भांति ये अधिक विकराल नहीं है। लेकिन यदि इस ओर अभी से प्रयास नहीं किये गये तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृद्ध व उनकी समस्याएँ गम्भीर हो जायेंगी।

संदर्भ

1. जोशी अरविन्द कुमार भारत में परिवार का भविष्य, भारतीय समाज विज्ञान समीक्षा, अंक 26, वर्ष 2000-01 ई०
2. मुखर्जी आर०के०: वेस्ट बंगाल फेमिली स्ट्रक्चर 1946-66, मैकमिलन, दिल्ली, 1977 ई०
3. आहुजा राम: इंडियन सोशल सिस्टम, रावत पब्लिकेसंस, जयपुर, 1993 ई०
4. देसाई के०जी० एण्ड नाइक आर०डी०: प्रॉब्लम्स ऑफ रिटायर्ड पीपुल ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बॉम्बे, 1973 ई०
5. भाटिया एच०एस० : एजिंग एण्ड सोसाइटी, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिटायर्ड पब्लिक सर्वेण्ट्स, आर्या बुक सेंटर, उदयपुर, 1983 ई०
6. कुमार विजय एस०: फेमिली लाइफ एण्ड सोशियो इकोनामिक प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड, आशीष पब्लिकेसंस, नई दिल्ली, 1991 ई०
7. गोरे एम० एस० : स्टर्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, सोसियोलॉजिकल बुलेटिन 46 (1), मार्च 1997
8. मोदी ईश्वर: एजिंग एण्ड ह्यूमन डेवलपमेंट ग्लोबल पर्सपेक्टिव, रावत पब्लिकेसंस, नई दिल्ली, 2001 ई०